ISSN: 2456–4397 RNI No.UPBIL/2016/68067 Vol-5* Issue-7* October-2020
Anthology : The Research

उत्तर प्रदेश जमीन्दारी उन्मूलन अधिनियम के कुछ प्राविधान : सफेद हाथी

Some Provisions of The Uttar Pradesh Zamindari Abolition Act: White Elephant

Paper Submission: 15/10/2020, Date of Acceptance: 26/10/2020, Date of Publication: 27/10/2020

महत्तम शर्मा
सह प्राध्यापक,
कॉलेज शिक्षा राजस्थान
राजकीय लॉ कॉलेज,
धौलपुर, राजस्थान, भारत

सारांश

किसी भी राष्ट्र के प्रगति का मुख्य आधार आर्थिक आधार होता है, राष्ट्र के सर्वांगीण विकास के लिए जहाँ एक तरफ उत्पादन आवश्यक है वहीं दूसरी तरफ उसका उचित वितरण भी आवश्यक है इस उत्पादन एवं वितरण में सामान्यजस्य बनाये रखने के लिए "सामाजिक न्याय का सिद्धान्त' एक महत्वपूर्ण योगदान निभा सकता है सामाजिक न्याय के सिद्धान्त का यदि सामान्य अर्थ लिया जाय तो "सबके साथ न्याय किया जाय' अर्थात समाज में चाहे समाजिक स्तर की बात हो या आर्थिक वितरण की बात बिना जाति धर्म लिंग या वर्ग के भेंद किये सबके साथ सभी क्षेत्र में समान रूप से न्याय किया जाय। आजादी के पूर्व समाज में एक प्रबल जन चेतना जागृति हुई और सामाजिक न्याय की मांग की आवाज प्रबल होने लगी, इसी सिद्धान्त को ध्यान में रखकर जब भारत स्वतंत्र हुआ एवं 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होकर भारत एक प्रजातांत्रिक गणराज्य बना तो संविधान क अन्तर्गत एक कल्याणकारी राज्य की व्यवस्था की गयी, अब राज्य का स्वरूप बदल चुका था, राज्य का कर्तव्य सिर्फ शांति प्रशान्ति या कानून व्यवस्था बनाये रखना ही नही अपितु एक ऐसे कल्याण कारी राज्य की स्थापना की गयी जिसमें राज्य जनता के पालक के रूप में कार्य करने की बात कही गयी, जिसका कर्तव्य समाज के हर वर्ग को उसकी आवश्यकतानुसार सुअवसर प्रदान करें। इसी तथ्य को ध्यान में रखकर संविधान की "प्रस्तावना' में समाजिक एवं आर्थिक समानता के साथ व्यक्ति के विकास के लिये सुअवसर प्रदान करने की बात कही गयी जहाँ संविधान का अनुच्छेद 14 समानता की बात करता है वहीं अनुच्छेद 15 एवं 16 समाज के कमजोर वर्ग को बराबरी का दर्जा दिलाने के लिये आरक्षण की भी बात करता है। जहाँ संविधान का भाग 3 नागरिको के मूल अधिकारो की बात करता है वहीं पर भाग 4 राज्यों को निर्देश भी देती है कि समाज में बराबरी लाने के लिये राज्य कार्य करे। निति निर्देशक तत्व का मुख्य आधार आर्थिक समानता है जिसके तहत घन का उचित बिभाजन एवं धन के बिकेन्द्रीकरण की बात कही गयी है।

The main foundation of the progress of any nation is the economic base, where production is necessary for the all-round development of the nation, on the other hand, its proper distribution is also necessary. To maintain normalcy in this production and distribution, "Principle of social justice" An important contribution can be played if the principle of social justice is taken as a general meaning, "justice should be done to all", that is, whether it is a matter of social status or economic distribution in the society, all of them can be shared without sending caste, religion, gender or class. Justice should be done equally in the area. Before independence, a strong public consciousness was awakened in the society and the voice of the demand for social justice started to prevail, keeping this principle in mind, when India became independent and India became a democratic republic on 26 January 1950, the Constitution came into force A welfare state was arranged, now the nature of the state had changed, the duty of the state was not just to maintain peace, tranquility or law and order, but a welfare state was established in which the state would act as the guardian of the people. It is said, whose duty is to provide every section of society with the opportunity it needs. Keeping the same fact in mind, the "Preamble" of the constitution said to provide opportunities for the development of a person with social and economic equality, where article 14 of the constitution talks of equality, while articles 15 and 16 of the weaker section of society It also talks about reservation for getting equal status. While Part 3 of the Constitution talks about the basic rights of the citizens, Part 4 also instructs the states that the state should work to bring equality in the society. The main drawback of the policy directive element is economic equality under which there is talk of proper division of the cube and the decentralization of wealth.

मुख्य शब्दः जमीन्दारी उन्मूलन, कर्तव्य, संविधान, कास्तकारी अधिनियम ।
Zamindari Abolition, Duties, Constitution, Tenancy Act.

प्रस्तावना

भारतवर्ष में समाज वाद लाने एवं पूजी वाद व्यवस्था को समाप्त करने के उद्देश्य से संविधान में सन् 1976 में 42 वॉ संशोधन कर के मूल अधिकारो की श्रेणी में से आर्थिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया अब इसे सिर्फ विधिक अधिकार ही बनाये रखा गया है। इसी आधार पर भूमि सम्बन्धी असीमित संम्पत्ति के अधिकार को समाप्त करने के उद्देश्य से सीलिंग प्राविधान भी लाया गया जिसमें एक व्यक्ति एक निश्चित सीमा से ज्यादा अपने पास भूमि नहीं रख सकता।

उपरोक्त प्राविधान संविधान में अपने आप नहीं लाये गये बल्कि इसके पीछे की पृष्ठ भूमि हमारे समाज सुधारको ने अपने अथक प्रयास से तैयार की समाज सुधारक जन मानस को भाप गये थे इसलिए जनता की भावना आदर करते हुए जन आन्दोलन एवं जन चेतना अभियान चलाना प्रारम्भ किया इसके महानायक के रूप में आचार्य विनोवा भावे ने "भू–दान यज्ञ" चलाया जिसका उद्देश्य जमीन्दारों, भू स्वामीयों से भूमि दान में लेकर भूमि हीनों को देना था।

परिवर्तन प्रकृति का नियम है प्रकृति ने भारतीय समाज में भी परिवर्तन लाया लोग पढ़ने लिखने लगे, बुद्धि का विकास हुआ, तर्क शक्ति बढ़ी तो लोगो को यह सोचने को मजबूर कर दिया कि पृथ्वी पर जितने भी मनुष्य पैदा हुए हैं प्रकृति की सारी संम्पदा पर सबका समान रूप से अधिकार है। भूमि की ही बात लीजिये जमीन्दार और भूमि स्वामी जिसके पास असंख्य भू संम्पत्ति थी उनके बाप दादा भूमि स्वर्ग से नही लेकर आये थे इसलिये सम्पूर्ण भूमि पर सम्पूर्ण मानव जाति का अधिकार है सिर्फ फर्क यह है कि उसका उचित, व्यक्ति के आवश्यकतानुसार वितरण किया जाना चाहिये भारत वर्ष में जहॉ एक तरफ असंख्य जनता भूमिहीन थी वहीं दूसरी तरफ समाज के कुछ प्रभुत्व लोगों के पास आवश्यकता से अधिक भूमि थी इससे दोनो पक्ष को हानि होती थी एक तरफ खेती करने के लिये भूमि नहीं थी तो दूसरी तरफ इतनी ज्यादा भूमि थी कि उसका उचित खेती नहीं किया जा रहा था जिससे पैदावार प्रभावित हो रही थी जिसका परिणाम भारत के पास उचित मात्रा में भू संम्पदा होने पर भी भारत अन्न के श्रेणी में आत्म निर्मर नहीं था कहने का तात्पर्य यह नहीं है कि जिसके पास आवश्यकता से ज्यादा भूमि थी उस पर खेती नहीं होती थी, खेती तो होती थी पर पूरे मनोयोग से नहीं, मजदूरों के माध्यम से कराया जाता था। मनोविज्ञान का यह सिद्धान्त है कि जिस चीज को मनुष्य अपना नहीं समझता उससे न तो उतना लगाव होता है और न ही उसमें पूरे मनोयोग से श्रम करता है।

अध्ययन का उद्देश्य

यदि हम अपने देश में राम राज्य की स्थापना की कल्पना को साकार करना चाहते हैं तो हमें समाज में फैली कुरीतियां असमानताएं ऊंच नीच का भेदभाव मिटाकर आर्थिक आधार पर सामाजिक आधार पर या राजनीतिक आधार पर समानता बनना होगा और हमारे संविधान की मूल वंश का आधार अर्थात धन का विकेंद्रीकरण करना होगा displays of wealth जिसमें समाज आर्थिक विषमता दूर होकर समाज का हर वर्ग आर्थिक एवं आत्मनिर्भर स्वावलंबी बनकर एक गरिमामय जीवन यापन करें इसके लिए समाज के साथ.साथ आर्थिक विषमताओं को दूर करने के लिए कानूनी स्तर पर विभिन्न प्रयास किए गए जिसमें काश्तकारी अधिनियम राजस्व अधिनियम जमीन दारी एवं रिश्तेदारी उन्मूलन जिम्मेदारी अधिनियम हमारे सामने आकर समाज के हर वर्ग के साथ बाय किया सरकार ने भी अन्य विभिन्न अधिनियम लाकर समाज में सफलता बनाने का प्रयास किया संविधान के अनुच्छेद 14 के अंतर्गत समानता की बात करता है वही अनुच्छेद 19 एवं 21000 अंता एवं प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात समाज में न्याय एवं एकरूपता लाने के लिए किया गया। वहीं दूसरी तरफ संपत्ति के संपत्ति अरविंद को मूलभूत अधिकार से हटाकर कुछ लोगों का संपत्ति पर वर्चस्व का सम्मान किया गया उक्त को ध्यान में राजस्व उक्त वर्णित शीर्षक के अंतर्गत आर्थिक समानता के लिए समाज एवं कानूनी दो स्तर पर सुधार अपेक्षित है।

विषयवस्तु

किसी प्रसिद्ध विद्वान का मत है "कम व्यक्तियों को अधिक समय तक बेवकूफ बनाया जा सकता है लेकिन ज्यादा व्यक्तियों को ज्यादा समय तक बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता" भारतीय जन मानस इस भेद भाव पूर्ण अन्याय को ज्यादा दिन तक बर्दास्त नहीं कर सकती थी हमारे तत्कालीन राज नेता इस कटु सत्य को समझ चुके थे और उन्हें आशंका थी कि कहीं भारत में भी जर्मनी या फांस जैसी क्रांन्ति न हो जाय. इसलिये धन के विकेन्द्रीकरण की सबसे मुख्य कड़ी भूमि का उचित बिभाजन करने के लिये पार्लियामेन्ट में भूमि संम्बधि बिल लाकर पास किया गया जिसमें जमींनदारी उन्मूलन अधिनियम, कास्तकारी अधिनियम, भूमि राजस्व अधिनियम आदि विभिन्न भूमि सुधार संम्बन्धी अधिनियम लाये गये। जिस समय भूमि सुधार संम्बन्धी विभिन्न बिल संसद में लाये गये थे उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू को संसद में एवं देश में भी विभिन्न कठिनाईयों का सामना करना पड़ा था इसी लिये पंडित नेहरू ने इस बिल को पूरा एक साथ पास न कराकर भिन्न–भिन्न समय पर टुकड़ो में पास कराया गया चूकि भारत एक गणराज्य है और भूमि संम्बन्धी अधिनियमों को लागू करने का दायित्व राज्य सरकारों का है इसलिये भूमि सुधार संम्बन्धी अधिनियम भिन्न–भिन्न राज्य में भिन्न–भिन्न समय पर लागू किया गया।

जहाँ तक उत्तर प्रदेश का प्रश्न है, 1950 को जमीन्दारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम बना एवं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 201 के अन्तर्गत राष्ट्रपति ने दिनांक 24 जनवरी 1951 को स्वीकृत प्रदान की एवं उत्तर प्रदेश के सरकार के असाधारण गजट में 26 जनवरी 1951 को प्रकाशित किया गया यह अधिनियम भारतीय

जन मानस के आकाक्षांओ के अनुरूप एवं संविधान की मूल भावना की पूर्ति करने के उद्देश्य से बनाया गया था इसलिये इस अधिनियम के अधिकतर प्राविधान जमीन्दारी उन्मूलन के साथ –साथ अनुसूचित जाति खेतीहर मजदूर, पिछड़ी जाति एवं समाज के कमजोर वर्गो के हितो की रक्षा करना एवं यथा संम्भव सहायता प्रदान करना है उदाहरण के तौर पर रहने .के लिये, घर बनाने के लिये, पशु पालन के लिये, कृषि से संम्बन्धित पैदावार के रखरखाव के लिये जमीन उपलब्ध इत्यादि। जहॉ एक तरफ जिसके पास कृषि योग्य भूमि यदि 5 बीघे से कम है उसे लगान जमा कराने से मुक्त प्रदान किया गया है वहीं दूसरी तरफ इस अधिनियम की धारा 122 (ग) के अन्तर्गत अनुसूचित जातियों, खेतीहर मजदूरों, अन्य पिछड़े वर्ग के सदस्यों ग्रामीण शिल्पी (बढ़ई, जुलाहा, कुम्हार, लोहार, रजतकार, स्वर्णकार, नाई, धोबी, मोची), गरीबी रेखा के निचे जीवन यापन करने वाले सामान्य श्रेणी के व्यक्तियों या विकलांगो को आवादी की भूमि का आवंटन करने की व्यवस्था की गयी है यह धारा समाज के कमजोर वर्गों के सहायता करने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 24 सन् 1971 के द्वारा बढ़ा दी गयी और इसमें समय समय पर समय अनुरूप बनाने के लिये संशोधन भी किये गये उदाहरण के तौर पर विकलांग व्यक्ति गरीबी रेखा के निचे जीवन यापन करने वाले सामान्य श्रेणी के भी व्यक्ति या ऐसा कोई भी व्यक्ति जो गॉव में रहता हो और उसके पास या उसके परिवार के पास रहने का घर न हो ऐसे व्यक्ति भी धारा 122 (ग) का लाभ लेने के हकदार होगें। उक्त अधिनियम को जहॉ समय समय पर संशोधन किया गया वहीं पर इस अधिनियम के कुछ प्राविधान अभी भी इस अधिनियम के उद्देश्य की पूर्ति करने के लिये सफंद हाथी सिद्ध हो रहे हैं जहॉ एक तरफ इस अधिनियम में अभी हॉल के संशोधन द्वारा – उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 27 2004 के द्वारा जहॉ नया स्पष्टीकरण जोड़कर विकलांगों या गरीबी रेखा के निचे जीवन यापन करने वाले सामान्य श्रेणी के व्यक्ति को भी लाभ दिया गया वहीं पर इस अधिनियम की धारा 122–ग (3) (1) अभी भी "ग्रामीण शिल्पी'– बढ़ई, जुलाहा, कुम्हार, लोहार, रजतकार, स्वर्णकार, नाई, धोबी, मोची या ऐसा कोई व्यक्ति ग्रामीण क्षेत्र में रहकर किसी प्रकार का शिल्पकार करता है उसे धारा 122 ग (3) बरीयता क्रमांक (1) पर रहने पर भी इस पर लगाया गया आर्थिक सीमा 2400/– रूपया प्रतिवर्ष आज की परिस्थितियों में छलावा लगता है यह निर्धारण उस समय का है जब इस अधिनियम को बनाया गया था आज जबकि एक तरफ महगाई बढ़ चुकी है, मुद्रास्फिति की दर सबसे ऊँचाइयों पर है यहीं नहीं आज प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ चुका है ऐसे समय में 200/– रूपया प्रति मास का आमदनी की सीमा अपनी बैद्यता खो चूका है जबकि एक तरफ गरीबी रेखा के नीचे के व्यक्ति का निर्धारण करते समय उसकी आर्थिक सीमा 20,000/– रूपया वार्षिक निर्धारित किया गया हैं। ग्रामीण शिल्पी की व्याख्या में यह शर्त लगायी गयी है कि यदि कुल वार्षिक आमदनी स्वयं या तो पति पत्नी में से किसी की या उसके अवयस्क बच्चे की कुल मिलाकर यदि 2400/– रूपये से ज्यादा है तो ऐसे व्यक्ति को ग्रामीण शिल्पी होने का लाभ नहीं दिया जायेगा अर्थात ऐसे व्यक्ति इस अधिनियम का लाभ नहीं उठा सकते अब तक उत्तर प्रदेश में कितनी सरकारें आयी और गयीं लेकिन वास्तव में समाज के कमजोर वर्ग जैसे बढ़ई, लोहार, जुलाहा, नाई, धोबी, मोची को वास्तविक लाभ पहुचाने के लिये अभी तक इसमें कोई संसोधन नहीं किया गया। न्यून्तम मजदूर से भी बहुत कम प्रतिमास पर किसी व्यक्ति की इस कठोर समाज में जीवित रहने की कल्पना करना गरीबो के साथ एक छलावा है आज समय की मांग है यदि समाजिक न्याय की सिद्धान्त की मांग को यह अधिनियम पूर्ती करना चाहता है तो जल्द से जल्द इस अधिनियम के इस धार में संशोधन करके आर्थिक सीमा को समय के अनुसार बढ़ाया जाना चाहिये जिससे यह अधिनियम अपने सहीं रूप में समाज के कमजोर वर्गों को उचित लाभ दिला कर उनको समाज में बराबरी का दर्जा दिलाने में अपना सहयोग प्रदान करे।

निष्कर्ष एवं सुझाव

उपरोक्त अध्ययन से यह बात सिद्ध होती है कि सामाजिक न्याय के सिद्धांत को अपनाने के लिए समाज एवं सरकार दोनो को दृढ इच्छा शक्ति की जरूरत है। हो सकता है कि इस पवित्र कार्य में समाज का कुछ तपका इसका विरोध करें लेकिन सही और गलत का फैसला संख्या, संख्या बल या विरोद्ध के डर के आधार पर नहीं अपितु न्याय के आधार पर होता है। सामाजिक एकता (समाजिक आधार पर, राजनेतिक आधार पर, आर्थिक आधार पर) पाने के लिए हमें निम्न कठोर कदम उठाने पडेंगे।

1. शिक्षा को सर्वहारा वर्ग तक पहुँचाना।
2. अर्न्तजातिय विवाह को बढावा देना।
3. सामाजिक कुरीतिया अन्ध विश्वास को जड़ से समाप्त करना।
4. भूमि सम्बन्धी कानून का पुनः सन्शोधन परिमार्जन करना।
5. चकबन्दी कानून को लागू करना।
6. सामाजिक संस्थाओं का आयोजन।
7. भूमि धारण सम्बन्धी अधिकतम लागू करना

सन्दर्भ ग्रंथ सूची

1. *जैन एम.पी. भारतीय संम्वैधानिक विधि।*
2. *पाण्डेय जे.एन. भारतीय सम्वैधानिक विधि।*
3. *त्रिपाठी टी.पी. विधिशास्त्र।*
4. *परान्जपे एन.वी. अपराधशास्त्र एवं दण्डप्रशासन।*
5. *मौर्य आर.आर उत्तर प्रदेश भूमि विधियाँ।*
6. *मिश्र एस.एम भारतीय दण्ड संहिता।*